

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

**कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर**

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: [ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in](mailto:ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in); Tel.no. 0294-2424748; Fax no..0294-2418137

क्रमांक एफ 5 ( ) तकनिकी / वसु / मुवसं. / 2022-23 / 6037

दिनांक :- 23/8/2022

निमित्त,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
फोरेस्ट प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए),  
राजस्थान, जयपुर।


विषय:- Permission for laying Underground Optical Fiber Cable in Forest area along PWD road from Vijaipur to Rooppura from Lat/Long 24.791558/ 75.718341 to 24.765172/ 75.740787 for total length of 4.063 KM and total area 0.1828 ha. roads in Chittorgarh District, Rajasthan. proposal No.FP/RJ/OFC/144983/2021)

प्रसंग:- आपका EDS दिनांक 15.7.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित EDS से आप द्वारा आलौच्य प्रकरण में लगाये गये आक्षेपों के परिप्रेक्ष्य में उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ़ द्वारा उनके पत्रांक एफ ( ) एफसीए./उवस/2022-23/5643 दिनांक 17.8.2022 से आक्षेपों को दुरस्त कर प्रत्युत्तर कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ़ से प्राप्त प्रत्युत्तर इस कार्यालय की सहमति के साथ ऑनलाईन एवं हार्ड कॉपी में संलग्न प्रेषित है।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,




(आर.के.जैन)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
उदयपुर।

क्रमांक पत्रा / सम /

दिनांक :-

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ़ को उनके पत्रांक 5643 दिनांक 17.8.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि वन क्षेत्र में कोई भी गैरवानिकी कार्य बिना सक्षम स्वीकृति के नहीं हो।

  
संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
उदयपुर।

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए./उवसं/2022 -23/5643  
निमित्त,

दिनांक : 17/8/2022



संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर

विषय :- Permission for laying underground OFC in Forest area along PWD road from Vijapur - Rooppura from Lat/Long 24.791558/ 75.718341 to 24.765172/ 75.740787 for total length of 4.063 KM and total area 0.1828 ha roads in Chittorgarh District, Rajasthan. (FP/RJ/OFC/144983/2021)

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक 5869 दिनांक 17.8.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा लगाए गए ऑनलाईन आक्षेपो की पूर्ति की जाकर निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र. सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	User agency has given undertaking that the proposed forest land comes in ROW and DCF has countersigned, then why he calculated CA and NPV for the diversion. Please clarify.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित किए गए अण्डरटेकिंग पर तत्कालीन उप वन संरक्षक द्वारा सहवस से हस्ताक्षर कर दिए गए थे।
2	If the area falls in ROW, then CA, NPV, topo sheet, DGPS map, land suitability certificate, CA estimate, CA scheme area to be removed.	प्रस्तावित लाईन वन क्षेत्र से होकर निकलेगी तथा प्रस्तावित OFC लाईन में वन विभाग की कच्ची सड़क वनखण्ड नोटिफिकेशन अनुसार आम रास्ता नहीं है। प्रस्तावित OFC Line वनखण्ड मोहना मातासरा में स्थित है। जिस कारण प्रस्तावित OFC प्रस्ताव ROW के तहत नहीं है। अतः उक्त प्रकरण में वन क्षेत्र में होने के कारण CA & NPV की मांग की गई है।

फोटो  
फुल्टाइम 23/8

भवदीय

(विजय शंकर पाण्डेय)  
उप वन संरक्षक,  
चित्तौड़गढ़